



2026:AHC: 57695

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 5313/2026

बलराम कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: बिश्राम तिवारी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता.

न्यायालय संख्या-70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक शपथपत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।
2. इस न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर प्रस्तुत समस्त सामग्री का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया।
3. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक **बलराम कुमार** की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 199 सन 2021 में विचारण के लम्बित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. संक्षेपतः, प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंतर्विष्ट अभिकथन के अनुसार, अभियुक्त-आवेदक तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अन्य सह-अभियुक्तगण एक गिरोह के सदस्य हैं और उन्होंने समाज के विरुद्ध गम्भीर अपराध कारित किये हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि यद्यपि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है, तथापि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित कोई भी अपराध नहीं किया है और उसे बाह्य उद्देश्यों तथा पुलिस कर्मियों से पूर्व वैमनस्य के कारण मिथ्यारूप से इस प्रकरण में फँसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि गैंग-चार्ट के अनुसार आवेदक एक आपराधिक वाद में संलिप्त बताया गया है, जिसमें उसे सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उक्त एक वाद के अतिरिक्त आवेदक का आयुध अधिनियम से सम्बन्धित एक वाद का आपराधिक इतिहास है, जिसकी व्याख्या पूरक शपथपत्र के पैरा 2 में की गई है। इसके अतिरिक्त आवेदक न तो किसी गिरोह का सरगना है और न ही किसी गिरोह का सदस्य है। वह दिनांक 15.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है तथा जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के जमानत प्रार्थनापत्र का यह तर्क देते हुए प्रबल विरोध किया कि आवेदक गिरोह का सदस्य है तथा अपराध कारित करने का अभ्यस्त है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होगा तथा अभियोजन पक्ष के साक्षियों को धमकी एवं भय दिखाकर जमानत का दुरुपयोग करेगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि इस प्रकरण में विवेचना अभी जारी है।

7. उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) निम्नवत् है :-

"(4) संहिता में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, तब तक जमानत पर या उसके स्वयं के बॉन्ड पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि - (क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर न दिया गया हो, और (ख) जहाँ लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करे, वहाँ न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि यह विश्वास करने के उचित आधार हैं कि वह ऐसे



अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए वह कोई अपराध कारित करने की सम्भावना नहीं रखता।"

8. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के प्रकाश में, इस न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री, गिरोह-चार्ट में उल्लिखित अपराध की प्रकृति तथा अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि का सम्यक् विचारण किया गया है।

9. **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब, (2021) 3 एस.सी.सी. 713** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनेक निर्णयों में संविधान के भाग III द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रता अपने संरक्षणात्मक दायरे में न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता को, बल्कि न्याय तक पहुँच और शीघ्र विचारण को भी समाविष्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी रिप्रेजेंटिंग **अंडरट्रायल प्रिजनर्स बनाम भारत संघ, (1994) 6 एस.सी.सी. 731** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विचाराधीन बन्दियों को विचारण लम्बित रहने के दौरान अनिश्चितकाल तक निरुद्ध नहीं किया जा सकता। आदर्शतः किसी भी व्यक्ति को उसके कृत्यों के प्रतिकूल परिणाम तब तक नहीं भुगतने चाहिए जब तक कि वे किसी निष्पक्ष निर्णायक के समक्ष स्थापित न हो जाएँ। तथापि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, जहाँ प्रभावी विचारण को सुनिश्चित करने तथा समाज को सम्भावित अपराधी के विचारण लम्बित रहने के दौरान मुक्त रहने से उत्पन्न जोखिम को कम करने हेतु, न्यायालयों पर यह दायित्व अधिरोपित है कि वे यह निर्धारित करें कि किसी व्यक्ति को विचारण लम्बित रहने के दौरान रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। जब यह स्पष्ट हो जाए कि समयबद्ध विचारण संभव नहीं होगा और अभियुक्त पर्याप्त अवधि तक कारावास भोग चुका है, तो न्यायालय सामान्यतः उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य होंगे।

10. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के इस स्वीकृत तथ्य को कि अभियुक्त-आवेदक द्वारा आपराधिक इतिहास की व्याख्या कर दी गई है, प्रस्तुत तर्कों पर विचारोपरान्त तथा यह दृष्टिगत रखते हुए कि अभियुक्त-आवेदक दिनांक 15.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक आदेश तथा **दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2018) 3 एस.सी.सी. 22 और सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य,**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एस.एल.पी.(क्रि.) संख्या 5191 सन 2021 में पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, तथा प्रकरण के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किये बिना, यह निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभूतियाँ प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को डराएगा।
- (ii) आवेदक यह वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तब साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर वह कोई स्थगन नहीं माँगेगा।
- (iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो स्वयं अथवा सम्बन्धित न्यायालय के निर्देशानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक निम्नलिखित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा –
 - (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने तथा (iii) अभियुक्त का अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए बयान अभिलिखित किए जाने।
- (v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

11. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

12. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभू की पहचान एवं निवास प्रमाण सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाए।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

20 मार्च, 2026

अंकित